

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

चौकसोन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक सीडर/2020/

759

दिनांक - 19.3.20

प्रार्थनापत्र

बनाम

अप्रार्थीगण

1 चतुराराम 2 ईशराराम निचराम मंडाराम 3
सताराम पुत्र मोबताराम जाति गुरुड़ा निवासी
आदर्श ढूंडा तहसील व जिला बाड़मेर।

1 गिरधारीराम पुत्र मेहराण वगैराह जाति
गुरुड़ा निवासी आदर्श ढूंडा तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र क्रमांक 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 31/2020

दिनांक- 18/03/20

आदेश

उपरोक्त, प्रकरण नौजा नागपेठियाण ढूंडा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 280 रकबा 10.05 बीघा व नौजा आदर्श ढूंडा पटवार क्षेत्र कवास तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 940/98 रकबा 07.11 बीघा, खसरा संख्या 937/88 रकबा 22.12 बीघा, खसरा संख्या 220 रकबा 0.09 बीघा व खसरा संख्या 94 रकबा 07.02 कुल रकबा 37.14 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा नौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- सीडर/2020/ 760-762

दिनांक- 19,3.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. चतुराराम पुत्र मोबताराम वगैराह जाति गुरुड़ा निवासी आदर्श ढूंडा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी गिरधारीराम पुत्र मेहराण वगैराह जाति गुरुड़ा निवासी आदर्श ढूंडा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर